न्यायालय जिला कलक्टर , फलौदी

पीठासीन अधिकारीः— श्री हरजी लाल अटल (आई.ए.एस.)

राजस्व अपील सं. :— 31/2024

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
मुकनाराम पुत्र श्री उदाराम जाति विश्नोई निवासी हनुमाननगर, भोजासर तहसील फलौदी, जिला फलौदी		1. बाबुराम पुत्र श्री जावताराम जाति विश्नोई, निवासी हनुमाननगर, तहसील फलौदी 2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार फलौदी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम बविरूद्व आदेश क्रमांक 884 दिनांक 16.11.2021 एवं उक्त आदेश की निरन्तता में पारित आदेश क्रमांक 5639—40 दिनांकित 16.06.2022 जो तहसीलदार, फलौदी (भू अभिलेख अधिकारी) द्वारा खसरा सं. 304 रकबा 6.4750 हैक्टयर सरहद मौजा हनुमाननगर भोजासर के सीमांकन बाबत आदेश पारित किया गया।

उपस्थित वकील —:

अपीलाण्ट् की ओर से— अधिवक्ता श्री सिकन्दर घोषी उपस्थित।

रेस्पोडेण्ट्स संख्या 01 की ओर सेः— अधिवक्ता श्री रेवतसिंह पातावत उपस्थित।

रेस्पोडेण्ट्स संख्या 02 की ओर सेः— तहसीलदार उपस्थित।

निर्णय

दिनांकः— 11/9/24

1. यह अपील राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत धारा 75 में दर्ज राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम बविरूद्व आदेश क्रमांक 884 दिनांक 16.11.2021 एवं उक्त आदेश की निरन्तता में पारित आदेश क्रमांक 5639—40 दिनांकित 16.06.2022 जो तहसीलदार, फलौदी (भू अभिलेख अधिकारी) द्वारा खसरा सं. 304 रकबा 6.4750 हैक्टयर सरहद मौजा हनुमाननगर भोजासर के सीमांकन बाबत पारित आदेश के विरूद्व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की है।

2. अपीलांटगण की अपील का संक्षिप्त सांराश इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्टस की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 304 रकबा 6.4750 हैक्टयर हनुमाननगर भोजासर तहसील फलौदी में आई हुई है। जिसके संबध में रेस्पोडेन्टस संख्या 01 द्वारा उपरोक्त भूमि के संबध में विवाद बताते हुए सीमाज्ञान करवाने हेतु रेस्पोडेन्टस संख्या 02 के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया जिस पर भू अभिलेख अधिकारी फलौदी द्वारा अपने आदेश दिनांक 16.11.2021 जारी कर हल्का पटवारी से सीमाज्ञान किये जाने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश दिनांक 16.11.2021 की पालना में हल्का पटवारी भोजासर ने दिनांक 12.04.2022 को उक्त विवादित खसरा संख्या 304 मौजा हनुमाननगर की पैमाइश रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी तत्पश्चात रेस्पोडेन्टस संख्या 01 द्वारा एक प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्टस संख्या 02 के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 12.04.2022 को सीमाकंन कर मौका रिपोर्ट बनवाई गई थी उससे रेस्पोडेन्टस संख्या 01 संतुष्ट नहीं है। रेस्पोडेन्टस संख्या 01 द्वारा दिनांक 13.06.2022 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 16.06.2022 को एक कार्यालय आदेश पारित कर ग्राम हनुमाननगर के खसरा संख्या 304 के सीमाकंन हेतु पैमाइश दल का गठन कर 7 दिवस के भीतर सीमांकन करवाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश पारित किये

Scanned with OKEN Scanner

गये। मौके पर वास्तविक विवाद ग्राम हनुमानगर के खसरा संख्या 177 व खसरा संख्या 304 की सीमा व रास्ते की भूमि का है। जिसे सेटलमेंट अधिकारियों की टीम व सेटलमेंट नक्शा के बिना करवाया जाना संभव ही नहीं था भू अभिलेख अधिकारी के आदेश दिनांक 16.11.2021 व उसकी निरन्तता में पारित आदेश के विरूद्व अपील आपके क्षेत्राधिकार में होने से अपीलांट ने अपील की मियाद के अंदर क्षेत्राधिकार की होने के कारण न्यायालय में पेश की है।

3. पत्रावली जरिये अधिवक्ता श्री सिकन्दर घोषी के द्वारा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश की गई। जिसे जांच उपरान्त दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्टस संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री रेवतसिंह पातावत ने वकालातनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात पत्रावली को बहस में रखा गया।

4. अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय फलौदी द्वारा आलौच्य आदेश पारित करने में भारी विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की गयी है। मौके पर वास्तविक विवाद दो खसरों के सीमाकंन एवं रास्तें की भूमि को लेकर है। उक्त विवाद को निपटाने हेतु राजस्व नक्शा पर्याप्त आधार नहीं है। विवाद होने पर सेटलमेंट ऑफिस के राजस्व नक्शा के अनुसार ही सीमाज्ञान का आदेश किया जा सकता है। भू अभिलेख अधिकारी द्वारा आलौच्य आदेश पारित करने से पूर्व पड़ौसी खातेदारों व कब्जा धारियों को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना उनकी अनुपस्थिति में आलौच्य आदेश पारित कर दिनांक 12.04.2022 को उक्त विवादित भूमि की पैमाइश कर पुनः नये सिरे से दिनांक 16.04.2022 को पैमाइश दल गठित करने का आदेश पारित करने में भारी कानूनी भूल की है। रेस्पोडेन्टस संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में खसरा नंबर 304 की सम्पूर्ण भूमि की पैमाइश करवाने का निवेदन किया गया है जबकि उक्त भूमि खसरा संख्या 177 मौजा हनुमाननगर जो वर्तमान में अपीलांट की खातेदारी की भूमि है, लेकिन खसरा संख्या 177 के खातेदारों को न तो कोई नोटिस दिया गया और न ही उन्हे सुना गया है। हल्का पटवारी ने रेस्पोडेन्टस संख्या 01 एवं भू अभिलेख निरीक्षक से मिलावट कर बिना नक्शे के बिना स्थाई मुटाम के अलग–अलग जगह पर सीमाज्ञान अपीलांट की गैर मौजुदगी में चिन्हित कर दिनांक 12.04.2022 को सीमाज्ञान कर दिया गया जो कत्तई न्यायोचित नहीं है। आलौच्य आदेश की आड़ में रेस्पोडेन्टस संख्या 01 खसरा नंबर 177/1 की भूमि जो कि गांव की मौजिज लोगों द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ दान में दी गयी, को हड़पना चाहते है रेस्पोडेन्टस संख्या 01 अपनी भूमि को रास्ता से जोड़ता चाहते है इस हेतु गलत रूप से आदेश पारित करवाकर विधि विरूद्व तरीके से पैमाइश करवाकर भूमि पर कब्जा करना चाहते है, जिनका उन्हे कोई अधिकार नहीं है इसलिए आलौच्य आदेश खारिज योग्य होने से खारिज फरमाया जावें।

5. अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस संख्या 01 ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में विधि एवं नियमों की पूर्णत पालना की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं झूठ होने के कारण अपील को खारिज की जावें।

6. पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एंव तहसीलदार फलौदी द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया गया। अभिभाषकगण द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर विचार मनन किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

7. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार फलौदी द्वारा अपीलाधीन आदेश 16.06.2022 पारित कर ग्राम हनुमान नगर के खसरा नंबर 304 के सीमाकंन हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक भोजसर एवं पटवारी हल्का भोजासर की टीम गठित करने किये जाने का आदेश किया गया है। उक्त आदेश रेस्पोडेन्टस बाबूराम के प्रार्थना पत्र 13.06.2022 के क्रम में जारी किया गया है। प्रार्थना पत्र के अनुसार पूर्व आवेदन 12.04.2022 को किये गये सीमाकंन से प्रार्थी सन्तुष्ट नहीं है। इसलिए टीम गठित कर पैमाइश की प्रार्थना की गई है। पत्रावली में उपलब्ध पैमाइश मौका रिपोर्ट 12.04.2022 के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी खातेदार बाबूराम की उपस्थिति में सीमाज्ञान किया गया है और मौका रिपोर्ट पढ़कर सुनाई गई है। जिसमें आवेदक द्वारा सन्तुष्टि जाहिर की गई है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज से यह भी प्रकट होता है कि अपीलांट की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 177 विवादित खसरा संख्या 304 से लगता हुआ है और अपीलांट मुकनाराम द्वारा सहायक कलक्टर न्यायालय फलौदी में प्रस्तुत राजस्व वाद अपीलाधीन आदेश की तिथि को लम्बित था। जिसमें दिनांक 04.01.2022 को सहायक कलक्टर फलौदी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति रखे जाने का आदेश पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की गैर मौजूदगी में सीमाकंन कराया जाना उचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व न तो पड़ोसी काश्तकार को सूचित किया गया है और न ही यह अंकित किया गया है कि पड़ोसी खातेदारों को सूचित किया जाकर सीमांकन किया जावें।

ऐसी स्थिति में न्यायाहित में अपीलाधीन आदेश को खारिज करते हुए तहसीलदार फलौदी को निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण में सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों की जांच करते हुए पक्षकारों को सूचित कर सीमाज्ञान हेतु पुनः विधिपूर्ण आदेश 15 दिवस की अवधि में पारित करें।

निर्णय आज दिनांक ...11/9/24. सरेइजलास सुनाया गया।

हरजी लाल अटल
(आई.ए.एस.)
जिला कलक्टर, फलौदी

Scanned with OKEN Scanner